न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान - आत्मा राम व अन्य बनाम विमला व अन्य

किस्म मुकदमा :- 251 क RTA प्रकरण सं. :- 79/26 GCMS:-2026/235

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.5.26	प्रकरण पेश होने पर शपथ–पत्र (सहमति–पत्र) शामिल मिसल होने के उपरान्त प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण आत्माराम पुत्र खुबराम जाति जाट निवासी चक 22 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ़ व रामसिंह पुत्र पेपसिंह जाति राजपूत निवासी जैसाभट्‌टी तहसील सूरतगढ़ ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर अपने नाम अंकित चक 5 बी.के.एम. के खाता सं. 101/77 के पत्थर नं. 58/42 (22) के किला नं. 11 से 25 = 3.795 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए इसी चक 5 बी.के.एम. के पत्थर नं. 58/41 के किला नं. 21/2 से 25/1 में मंजूरशुदा रास्ता को जोड़ते हुए अप्रार्थी सं. 1 विमला पत्नी इमीचन्द जाति सुथार निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा के नाम अंकित खातेदारी भूमि में से चक 5 बी.के.एम. के पत्थर नं. 58/42 (22) के किला नं. 1 में 0.015 है0, 10 में 0.015 है0 भूमि में प्रत्येक किलाजात के पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण की तरफ 10–10 फुट यानि 0.030 है0 रास्ता स्वीकृत किये जाने एवं रास्ता में आई भूमि के बदले प्रार्थीगण ने अपने नाम अंकित भूमि में से चक 5 बी.के.एम. के पत्थर नं. 58/42 (22) के किला नं. 11 में 0.030 है0 (उत्तर–पूर्वी पासा में अप्रार्थी सं. 1 के चिपते) कलमजन की जाकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 ने जरिये अभिभाषक प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के मध्य निष्पादित सहमति–पत्र प्रस्तुत किया। सहमति पत्र प्राप्त होने पर पक्षकारान को सुना गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और सहमति–पत्र की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपने नाम अंकित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता की अत्यान्तिक रास्ता की आवश्यकता होने के कारण मुताबिक सहमति–पत्र अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित खातेदारी भूमि में से चक 5 बी.के.एम. के पत्थर नं. 58/42 (22) के किला नं. 1 में 0.015 है0, 10 में 0.015 है0 भूमि में प्रत्येक किलाजात के पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण की तरफ 10–10 फुट यानि 0.030 है0 रास्ता स्वीकृत किये जाने एवं रास्ता में आई भूमि के बदले प्रार्थीगण के नाम अंकित भूमि में से चक 5 बी.के.एम. के पत्थर नं. 58/42 (22) के किला नं. 11 में 0.030 है0 (उत्तर–पूर्वी पासा में अप्रार्थी सं. 1 के चिपते) कलमजन की जाकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ने अपने तर्कों में प्रार्थीगण को रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता स्वीकार की और सहमति–पत्र के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। पैरोकार राज ने राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना–पत्र में निर्णय किये जाने की प्रार्थना की। पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद पत्रावली के अवलोकन में प्रार्थीगण के इस कथन से सहमत हूं कि उनको अपने नाम अंकित खातेदारी भूमि में पहुंच हेतु रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता है। अप्रार्थी सं. 1 ने भी अपने तर्कों में इसे स्वीकार किया है तथा सहमति–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की है। न्याय की यह मंशा है कि प्रत्येक काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि में पहुंच क्रमशः	आत्माराम Ramsingh विमला

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 11:25:45 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान - आत्माराम बनाम विमला व अन्य

किस्म मुकदमा :- 251क RTA प्रकरण सं. :- 73/26

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.4.26	हेतु सुलभ रास्ता उपलब्ध हो। अतः पक्षकारान के मध्य निष्पादित सहमति–पत्र के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।	

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के मध्य निष्पादित सहमति–पत्र के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 विमला पत्नी इमीचन्द जाति सुथार निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा खातेदार के नाम अंकित वाके चक 5 बी.के.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 131/114 में अंकित कुल 2.530 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 58/42 (22) के किला नं. 1 में 0.015 है0 पश्चिम दिशा, 10 में 0.015 है0 पश्चिम दिशा = 0.030 है0 (उत्तर से दक्षिण 10 फुट चौड़ा) रास्ता (पत्थर नं. 58/41 के किला नं. 21/2 से 25/1 में गै.मु. रास्ता से जोड़ते हुए) स्वीकृत किया जाता है व तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से कलमजन कर प्रार्थीगण आत्माराम पुत्र खुबराम जाति जाट निवासी चक 22 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ़ व रामसिंह पुत्र पेपसिंह जाति राजपूत निवासी जैसाभट्टी तहसील सूरतगढ़ के नाम बहिस्सा बराबर गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थीगण आत्माराम पुत्र खुबराम जाति जाट निवासी चक 22 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ़ खातेदार व रामसिंह पुत्र पेपसिंह जाति राजपूत निवासी जैसाभट्टी तहसील सूरतगढ़ खातेदार के नाम अंकित वाके चक 5 बी.के.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 101/77 में अंकित कुल 3.795 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 58/42 (22) के किला नं. 11 में 0.030 है0 (उत्तर–पूर्वी पासा में अप्रार्थी सं. 1 के चिपते) प्रार्थीगण के नाम से बहिस्सा बराबर कलमजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 1 विमला पत्नी इमीचन्द जाति सुथार निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेशों की पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को पत्र जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 21.04.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.11 12:25:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)